

03.02.21

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दि० 01.4.19 की प्रति का अध्ययन किया जिसके अनुसार "अधिनस्थ न्यायालय में औरकार मूल दावा मुकेश कुमार बनाम राम कुमार लाम्कित नहीं है। इस प्रकरण का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है। इसलिए इस दावे से सम्बंधित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चल रही कार्यवाहियों का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। अतः प्रकरण प्रभावहीन होने के कारण रवाजिज किया जाता है। पत्रावली फैसल झुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद आप्ला दारखिल वफतर हो।

शु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
सरतपुर (राज)